


24/12/21

पत्रावली पैरा टुवे कमील डावर्त एजि कथे।
 कमील डावर्त को रुक-रुक आवाजे
 लगाये गयी। एजि कथे है। स्वयं डावर्त
 भी बहुत घबराते थे। अतः डावर्त-पत्र
 डावर्त कमील डावर्त की अफम एवम्
 अफम पैरवी में खारिज किया जाता है।
 तथा न्यायालय द्वारा जारी अफवारे
 निर्दिष्टात दिनांक 02.01.2020 को विरस्त
 किया जाता है। पत्रावली को जल में
 डुबाए दीकट छल वाड  लेमन रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर